न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—74/2018/223 (2018/00074)

1. तेजपाल पुत्र पांचूराम,
2. छगनलाल पुत्र पांचूराम,
3. रामनारायण उर्फ बद्री पुत्र पांचूराम
4. रामदेव पुत्र रामनाथ (मृतक) जरिये वारिसान :—
   4/1— भैरू पुत्र रामदेव,
5. रामकरण पुत्र रामनाथ (मृतक) जरिये वारिसान :—
   5/1— मु0 रामी पत्नि रामकरण,
   5/2— रतनलाल पुत्र रामकरण,
   5/3— मोहनलाल पुत्र रामकरण,
   5/4— श्रीमती कानी पुत्री रामकरण,
   5/5— श्रीमती माना पुत्री रामकरण,
6. नोरत पुत्र मल्लाराम,
7. विश्राम पुत्र मल्लाराम,
8. भूरी बेवा मल्लाराम,

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. हरजीराम पुत्र पांचूराम,
2. गोपीराम पुत्र पांचूराम,

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम गागुन्दा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अरांई ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 16.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 122/2007.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 12.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा हेतु पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम गागून्दा के निवासी होकर काश्तकार है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण संख्या 1 से 3 के सगे भाई है जबकि 4 व 5 के भतीजे है तथा वादीगण नंबर 6 व 7 के ताऊ के लड़के होने से भाई है । वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के पिता तथा वादीगण नंबर 3 व 4 के बड़े भाई व वादीगण नंबर 6 व 7 के ताऊ के लड़के होने से हमारे परिवार में सबसे बड़े होने के कारण परिवार के कर्ता थे । किसी भी प्रकार के पारिवारिक कार्य या खरीद फरोख्त वे ही करते थे । इसी क्रम में उन्होंने दिनांक 30.6.1962 को ग्राम गागुन्दा पटवार मण्डल गागुन्दा पंचायत भोगादीत में खाता संख्या 323 खसरा नंबर पुराना 139 मिन नया 139/1 रकबा 5 बीघा, पुराना खसरा नंबर 698 नया नंबर 698/3 रकबा 37—07—00 कुल किता 2 कुल रकबा 42—07—00 बीघा भूमि क्रय की थी, उस समय परिवार मे यह बात तय हो गयी थी कि यह भूमि सभी के हिस्से में रहेगी । चूंकि यह क्रयशुदा भूमि हमारे संयुक्त परिवार द्वारा क्रय की गई थी इस कारण उक्त क्रयशुदा भूमि में सभी का हिस्सा है परन्तु वर्तमान में यह भूमि प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का उनके हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है । हमारे पिताजी व भाई ने उनके जीवनकाल में ही आज के 35—40 वर्ष पहले ही परिवार मे यह समझौता करा दिया था कि उक्त क्रयशुदा भूमि में वादीगण नंबर 1 से 3 व प्रतिवादीगण नंबर 1 से 2 के हिस्से में 1/3 भूमि रहेगी तथा वादीगण नंबर 4 से 7 के हिस्से में 2/3 भूमि रहेगी । उसी अनुसार आज से 30—35 वर्ष से इसी हिस्से अनुसार वे काबिज है परन्तु प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 रोजाना उक्त भूमि अपने नाम होने से विक्रय करने की धमकियां दे रहे है इसी कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया किया कि बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादरीगण नंबर 1 व 2 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित भूमि जो प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई है वह पारिवारिक मौखिक समझौते के अनुसार व प्रतिवादी के नाम जो समस्त भूमि अंकित कर दी गई है उसके स्थान पर वादीगण नंबर 1 से 3 व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम उनके वास्तविक 1/3 हिस्से का व वादीगण नंबर 4 से 7 के नाम 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जावे । अधी0न्याया0 में प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों से इंकार किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2018 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त

होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई थी तथा तत्समय पांचूराम पुत्र रामनाथ के दो पुत्र हरजी उम्र 13 वर्ष तथा गोपी उम्र 11 वर्ष का जन्म हो चुका था तथा शेष पुत्रों का जन्म वादग्रसत भूमि दिनांक 30.6.1962 को क्रय करने के पश्चात् हुआ । उक्त दोनों पुत्र तत्समय नाबालिग थे जिसकी पुष्टि स्वंय हरजी द्वारा 100/—रू0 के स्टाम्प दिनांक 4.12.2006 को क्रय किया जाकर सभी सहदायिकों के मध्य आपसी सहमति पत्र दिनांक 4.12. 2006 को निष्पादित किये जाने से सिद्ध है जिस पर हरजीराम के द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है एवं अपनी उम्र दिनांक 4.12.2006 को 55 वर्ष अंकित करवाई है जिससे यह स्पष्ट है कि सन् 1962 में हरजी की उम्र 13 वर्ष थी जिसकी पुष्टि गोपी पुत्र पांचूराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं बयानों से होती है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता हो कि 13 वर्ष की उम्र में उसके द्वारा अपने प्रयासों से प्रतिफल राशि एकत्रित की जाकर भूमि क्रय की गयी हो वही दूसरी और आपसी सहमति पत्र दिनांक 4.12.2006 में वादग्रस्त आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की आमदनी से क्रय की जाकर सभी का उसमें हिस्सा निहित होकर सभी पारिवारिक सदस्य मौखिक पारिवारिक समझौता जो वाद प्रस्तुति के 40 वर्ष पूर्व किया गया था के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है एवं नोटेरी पब्लिक के समक्ष आपसी सहमति को स्वंय स्वीकार कर हस्ताक्षरित किया गया है जिससे वादीगण आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की आमदनी से क्रय करना साबित था । बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 1 के निर्णय में विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा यह अंकित किया गया है कि श्रीमती गोरा देवी पत्नि पांचूराम द्वारा अपने बयानात में यह स्वीकार किया गया है कि 40 वर्ष पूर्व सब अलग—अलग हो गये जिससे पांचूराम, रामदेव व रामकरण अपने अपने परिवार के मुख्या थे एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 हरजीराम भी संयुक्त परिवार से अलग रहवास करने लगा जिससे स्पष्ट है कि वाद प्रस्तुति सन् 2007 के 40 वर्ष पूर्व अर्थात् लगभग 1967 तक संयुक्त परिवार था जिसका विभाजन सन् 1967 के लगभग हुआ उससे पूर्व संयुक्त हिन्दू परिवार होकर पांचूराम पुत्र रामनाथ सबसे बड़ा होने के कारण कर्ता खानदान होना सिद्ध हो चुका था लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़कर संयुक्त परिवार बाबत् अनभिज्ञता प्रकट किया जाना अंकित करते हुए बरवक्त क्रय सन् 1962 में सभी पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करना सिद्ध होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 का त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तनकी संख्या 2 के अनुसार वाद प्रस्तुति के 30—35 वर्ष पूर्व हुए पारिवारिक समझोते के अनुसार वादगण संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगात 2 का 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 लगायत 7 का 2/3 हिस्सा निहित होकर उक्त हिस्सो के अनुसार काबिज काश्त चले आना स्वंय पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति पत्र दिनांक 4.12.2006 में स्वीकार किया गया है जो दिनांक 9.1.2007 को नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया है एवं वादग्रस्त आराजियात भी आपसी सहमति पत्र में अंकित की है । उक्त आपसी सहमति पत्र विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष रिकार्ड पर उपलब्ध तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 गोपी द्वारा भी स्वंय स्वीकार किया गया है फिर भी अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित करते

हुए कि सहमति प्रलेख के संबंध में वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कतई गलत अंकित किया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण की स्वंय स्वीकृति के विपरीत जाकर तनकी संख्या 2 को निर्णित किया है जो काबिल निरस्तनीय है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित होकर वादीगण का कोई हक, हिस्सा व दखल तथा अधिकार नहीं होने बाबत् बनाई गई थी जबकि संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित आपसी सहमति पत्र दिनांक 4.12.2006 में स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की आमदनी से क्रय किया जाना सिद्ध हो चुका था तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय द्वारा जवाबदावे में इस तथ्य को स्वंय स्वीकार किया गया है एवं उक्त आपसी सहमति पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष रिकार्ड पर मौजूद था जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। 1962 में पांचूराम के मात्र दो पुत्र यथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे शेष पुत्रों का जन्म दिनांक 30.6.1962 को भूमि क्रय करने के बाद होना पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है । बरवक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास करते थे जिसकी आमदनी से ही भूमि क्रय की जाना एवं 40 वर्ष पूर्व हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारे में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया जाना एवं तब से हिस्से अनुसार काबिज होना सिद्ध हो चुका था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे (16) 2009 पेज 688, आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (3) पेज 1892 राज0 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याायाा0 में जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर 6 तनकियात कायम की गई । वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजों के साथ–साथ मौखिक साक्ष्य भी पी0डब्ल्यू0 1 तेजपाल, गोरा देवी पी0डब्ल्यू0 2, पी0डब्ल्यू0 3 भंवरीदेवी, पी0डब्ल्यू0 4 रामेश्वर, पी0डब्ल्यू0 5 भेरू पुत्र भागीरथ के बयान व जिरह कलमबद्ध करवाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 6.3.2012 के अनुसार साक्ष्य प्रस्तत नहीं करने पर 300/–रू0 कोस्ट पर समय दिया गया तथा दिनांक 31.3.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई । हम तनकीवार निर्णय करना उचित समझते है।

7. अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी किः आया वादपवत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित भूमि वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता पांचूराम परिवार के सबसे बड़े लड़के होने के कारण परिवार के कर्ता थे तथा उनके द्वारा हरजी जिसकी उम्र 13 साल व गोपीराम जिसकी उम्र 11 साल लगभग थी जरिये पिता सरंक्षक पांचूराम क्रय की थी परन्तु उस समय किये गये पारिवारिक समझौते के अनुसार उक्त क्रय की गई भूमि संयुक्त परिवार की होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उनके हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

8. इसी प्रकार तनकी संख्या 2 यह कायम की थी कि :– वादी एवं प्रतिवादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 4 में अंकित अनुसार पिछले 30–35 सालों से उनके हिस्से में आयी भूमि पर काबिल चले आ रहे है तथा पारिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में कम की जाकर वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 1/3 व वादीगण संख्या 4 से 7 के हिस्से में 2/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तत्पश्चात् इसी हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के हिसाब से बंटवारा कराने के अधिकारी है । ? ––वादीगण––

9. तनकी संख्या 1 व 2 एक दूसरे से संबंधित होने से सुविधा की दृष्टि तनकी संख्या 1 व 2 को एक साथ निर्णित किया जा रहा है :– इस संबंध में अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि रामनाथ जी के चार पुत्र हुए, पांचूराम, मल्ला, रामदेव व रामकरण जिसमें से पांचूराम का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है । रामदेव व रामकरण वादीगण संख्या 4 व 5 है। मल्लाराम का स्वर्गवास होने से उनके वारिस वादीगण संख्या 6, 7 व 8 है । रामनाथ का स्वर्गवास हो जाने के कारण चारों भाई पांचूराम, मल्ला, रामदेव व रामकरण संयुक्त परिवार के रूप में निवास करते थे तथा पांचूराम और मल्लाराम के स्वर्गवास के बाद भी उनके वारिस अपने चाचा व ताउ के साथ संयुक्त रूप से निवास करते रहे है । भूमियां भी संयुक्त रूप से काश्त की जाती रही है । भूमियों से प्राप्त आय व परिवार के अन्य आय से प्राप्त राशि से अपीलाधीन भूमियां पांचूराम के नाबालिग पुत्रों हरजी व गोपी पुत्रगण पांचू के नाम से क्रय की गई जबकि भूमियां संयुक्त परिवार की आय से ही संयुक्त परिवार के लिये क्रय की गई थी। बैनामा दिनांक 23.6.1962 के पंजीयन के समय हरजी की उम्र 13 वर्ष व गोपी की उम्र 11 वर्ष, दोनों ही नाबालिग थे तथा दोनों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था । राशि संयुक्त परिवार की आय से विक्रेतागण को अदा की गई थी तथा कब्जा भी परिवार के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया था परन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 हरजी व गोपी के नाम गलत रूप से दर्ज की गई जबकि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज की जानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 गोपी ने जवाबदावा की चरण संख्या 2 में इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार रहा तथा पांचूराम जी परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे तथा कर्ता खानदान थे, सभी कार्य व खरीद फरोख्त उन्हीं के द्वारा किया जाता रहा तथा उपरोक्त भूमि भी संपूर्ण परिवार के हित के लिये नाबालिग पुत्र हरजी व गोपी के नाम क्रय की गई । बरवक्त खरीद हरजी की उम्र 13 साल व मेरी स्वंय की उम्र 11 साल रही जबकि यह भूमि सभी की सहिस्सेदारी की भूमि है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 गोपी द्वारा इकबाली जवाबदावा दिया गया । वादीगण ने अपने उक्त तथ्यों को साबित करने के लिये आपसी सहमति पत्र दिनांक 9.1.2007 जो कि नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 हरजीराम व प्रतिवादी संख्या 2 गोपी एवं समस्त वादीगण द्वारा निष्पादित किया गया एवं सहमति पत्र में स्वीकार किया गया कि अपीलाधीन भूमियां संयुक्त सहहिस्सेदारी की है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया कि ऐसा कोई सहमति पत्र दिनांक 9.1.2007 को निष्पादित नहीं किया गया हो तथा उक्त सहमति पत्र फर्जी हो । उक्त सहमति पत्र का प्रतिवादी द्वारा खण्डन नहीं किये जाने से उक्त सहमति पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । सहमति पत्र पक्षकारान पर बाध्यकारी है ।

10. इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किये गये कथनों के समर्थन में पी0डब्ल्यू0 1 तेजपाल, पी0डब्ल्यू0 2 गोरादेवी, पी0डब्ल्यू0 3 भंवरीदेवी, पी0डब्ल्यू0 4 रामेश्वर, पी0डब्ल्यू0 5 भेरू पुत्र भागीरथ के बयान व जिरह करवाई जिन्होंने भी अपने बयानों में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावे के अतिरिक्त वादी की उपरोक्त मौखिक साक्ष्य एवं सहमति पत्र के बारे में कोई खण्डन नहीं किया गया । वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रही इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है । जबकि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित की गई थी ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । इस संबंध में वादीगण ने अपने वादपत्र में स्पष्टया कथन किया है कि बरवक्त खरीद दिनांक 23.6.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 13 साल व प्रतिवादी संख्या 2 की उम्र 11 साल थी तथा दोनों ही नाबालिग थे तथा इनकी आय के कोई स्रोत नहीं थे न ही प्रतिवादीगण ने तत्समय अपनी आय के कोई स्रोत होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश की है । स्वंय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने इकबाली जवाबदावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बरवक्त क्रय दिनांक 23.6.1962 प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 13 साल व प्रतिवादी संख्या 2 की उम्र 11 साल रही व नाबालिग थे तथा हमारा परिवार संयुक्त परिवार था तथा कर्ता खानदान पांचू राम बड़े भाई होने के कारण थे तथा उन्हीं के द्वारा परिवार के समस्त कार्य एवं खरीद फरोख्त आदि की जाती रही है । इस प्रकार स्वंय गोपी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि परिवार की संयुक्त सम्पति है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा आपसी सहमति पत्र जो कि पक्षकारान के मध्य दिनांक 4.12.2006 को हुआ से भी प्रमाणित है कि भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें सभी का संयुक्त हिस्सा व कब्जा है । इस संबंध में वादीगण द्वारा पी0डब्ल्यू0 1 से पी0डब्ल्यू0 5 गवाहान के बयान अधी0न्याया0 के समक्ष करवाये गये थे जिनसे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह भी की गई । वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से भी यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त भूमियां है । विक्रय पत्र दिनांक 23.6.1962 दिखावटी है तथा नाबालिग पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बरवक्त विक्रय पत्र नाबालिग होने तथा आय का कोई स्रोत नहीं होने से प्रतिफल राशि भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अदा न की जाकर संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान पांचू द्वारा ही अदा की गई थी । प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि दिनांक 23.6.1962 का विक्रय पत्र दिखावटी न होकर वास्तविक है तथा विक्रय की प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा ही अदा की गई हो । स्वंय प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा भी प्रस्तुत जवाबदावे की चरण संख्या 4 में वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया एवं यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त मालिकाना हक व कब्जे की है जिसमें सभी मालिक होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । प्रतिवादी संख्या 2 जो विक्रय पत्र दिनांक 23.6.1962 का क्रेता है एवं साक्ष्य अधि0 के अनुसार एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 100 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम साक्ष्य है जिस पर न्यायालय द्वारा अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । उपरोक्त विवेचन से विक्रय पत्र दिनांक 23.6.

1962 दिखावटी प्रकट होता है तथा वास्तव में विक्रय पत्र दिनांक 23.6. 1962 की प्रतिफल राशि कर्ता खानदान पांचू द्वारा संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया जाना प्रमाणित होता है एवं अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा व संयुक्त खातेदारी प्रमाणित होती है । इस प्रकार तनकी संख्या 1 उपरोक्त विवेचनानुसार एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णित की जाती है तथा वादी/अपीलांट संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपीलाधीन भूमि में 1/3 हिस्सा एवं वादीगण/अपीलांट संख्या 4 से 7 हिस्सा 2/3 अपीलाधीन भूमि में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी प्रमाणित होते है ।

12. इसी प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 3, 4 एवं 5 निम्नानुसार कायम की गई :–

तनकी संख्या :–3– आया उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का आधा हिस्सा है अन्य किसी भी वादी का कोई हक हिस्सा व दखल व अधिकारी नही है ।–––प्रतिवादी–

तनकी संख्या :–4– आया वादी व प्रतिवादीगण को संयुक्त परिवार नहीं था एवं न ही पांचूराम कर्ता थे तथा न ही संयुक्त परिवार द्वारा कोई भूमि क्रय की गई थी एवं न ही कोई समझौता हुआ था ।––प्रतिवादीगण–

तनकी संख्या :–5– आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खपातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से वादीगण किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है ? ––प्रतिवादीगण––?

13. उपरोक्त तीनों तनकियां संख्या 3, 4 व 5 एकदूसरे से संबधित है इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णित की जा रही है । तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार अपीलाधीन भूमि कर्ता खानदान पांचू द्वारा पक्षकारान की संयुक्त आय से संयुक्त परिवार के लिये क्रय की गई तथा अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम क्रय किया जाना एवं संयुक्त कब्जा होना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 3, 4 व 5 का निर्णय भी तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार विधिनुकूल नहीं माना जा सकता है । तनकी संख्या 3, 4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, प्रतिवादीगण ने उपरोक्त तनकियों के संबंध में कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है न ही तनकियों को सिद्ध किया गया है । वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश किये जो अखण्डित रहे है । स्वंय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार अपीलाधीन भूमि पक्षकारान की तनकी संख्या 1 व 2 में किये गये विवेचन के अनुसार संयुक्त सहहिस्सेदारी व कब्जे काश्त की भूमियां है । इस कारण तनकी संख्या 3, 4 व 5 प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध तथा अपीलांटस/वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है ।

14. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य पायी जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का निर्णय व डिक्री 16.3.2018 निरस्त योग्य पाया जाता है ।

15. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2018 निरस्त किया जाता है तथा ग्राम गागुन्दा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 139 मिन हाल 139/1 रकबा 5

बीघा, साबिक खसरा नंबर 698 मिन हाल खसरा नंबर 698/3 रकबा 37–7–00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 42–7–00 बीघा भूमि में अपीलांट संख्या 1 से 3 व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अपीलांटस संख्या 4/1 एवं 5/1 से 5/5 एवं 6, 7 व 8 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार, किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 12.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर